



समक्ष - अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर सिविर भोपाल

एम.जी.सी.क्र. /014

अभय पिता गुरुदत्त आर्य जाति कलार

निवासी - विकास नगर चिचोली तह. चिचोली जिला बैतूल

--रिवीजनकर्ता/आवेदक

श्री अभय आर्य
आवेदक द्वारा आज
दिनांक 28-11-14
को भोपाल कैम्प
पर उपस्थित।

बनाम

1. अनिल पिता गुरुदत्त आर्य जाति कलार

निवासी - विकास नगर चिचोली तह. चिचोली जिला बैतूल

2. संजय पिता गुरुदत्त आर्य जाति कलार

निवासी - चिरायू हास्पिटल के पास टिकारी बैतूल

तह. व जिला बैतूल

--गैररिवीजनकर्ता/अनावेदक

G/mj
28-11-14

D/Amc
1-12-14

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

रिवीजनकर्ता की ओर से विनय है :-

1. यह कि रिवीजनकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिचोली के अन्त आदेश की धारा 50 मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता के तहत रिवीजन संस्थापित कर् जो अदम पैरवी में खारिज होने के कारण धारा 35 (3) मध्य प्रदेश भू-राजस्व स के तहत प्रकरण संस्थापित किया था। उक्त प्रकरण का विचारण कैम्प भोपाल में जा रहा था किन्तु कैम्प भोपाल के सिविर की जानकारी न होने से रिवीज उपस्थित नहीं हो सका था।

2. यह कि पेशी तारिख की सूचना हेतू यह आदेशित किया गया था कि उ हेतू सूचना पत्र भेजा जावेगा किन्तु रिवीजनकर्ता को कैम्प भोपाल में उपस्थि संबंधि कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ इसलिए रिवीजनकर्ता उपस्थित नहीं हो स

नें उपस्थित नहीं की गई है

13-2-15

आवेदन के तैयारी के माध्यम से, द्वारा
रेस्यू रेशन आवेदन पत्र पर प्रस्तुत (फॉ)
पर विचार किया।

जन्म पंजीयती का कारण समाधान कारक
होने से मूल प्रकार का पुत्र नम्बर पर
लिया जाता है। इस प्रकार में कोई कार्यवाही
शेष न होने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष